न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

पी0ए0 अपील वाद सं0–05/2018–19

सोलेमान सोरेन
बनाम
जमीन हेम्ब्रम

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपीलवाद, अपीलकर्त्ता सोलेमान सोरेन, पिता–स्व0 शिवलाल सोरेन, सा0–फुलोपानी, थाना–पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–34/2017–18 (साथ में पी0ए0वाद सं0–44/2017–18 संलग्न) में दिनांक–04.12.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) झारखण्ड राज्य एवं (2) जमीन हेम्ब्रम, पिता–स्व0 मंडल हेम्ब्रम, सा0–फुलोपानी, थाना–पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि अंचल–पाकुड़िया के मौजा–फुलोपानी के ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु जमीन हेम्ब्रम (इस वाद के उत्तरवादी सं0–02) के द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन पर पी0ए0वाद सं0–34/2017–18 संस्थित किया गया। एक अन्य आवेदक सोलेमान सोरेन (इस वाद के अपीलकर्त्ता) द्वारा भी उक्त मौजा के ग्राम प्रधान पद पर अपनी नियुक्ति हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। जिसके आधार पर पी0ए0 वाद सं0–44/2017–18 संस्थित किया गया। पी0ए0वाद सं0–44/17–18 को पी0ए0 वाद सं0–34/17–18 के साथ संलग्न कर सुनवाई की गई एवं दिनांक–04.12.2018 को पारित आदेश द्वारा SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत जमीन हेम्ब्रम (इस वाद के उत्तरवादी सं0–02) को मौजा–फुलोपानी का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। यह अपील वाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तार से सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–फुलोपानी एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के खतियानी प्रधान तहबल सोरेन थे। खतियानी प्रधान की मृत्यू के बाद उनके बड़े पुत्र लोपसा सोरेन ग्राम प्रधान नियुक्त हुए जो अपीलकर्त्ता के दादा थे। संथाल कस्टमरी लॉ के अनुसार लोपसा सोरेन की मृत्यू के बाद उनके पुत्र को ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाना चाहिए था। परन्तु लोपसा सोरेन के पुत्र शिवलाल सोरेन

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख
1	2	3

उस समय नाबालिक थे, जिसका फायदा उठाकर दालू सोरेन उक्त मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त हो गए। दालू सोरेन की दो पुत्रियाँ बीटी सोरेन एवं राजो सोरेन हुई। दोनो बेटियों की शादी साधारण तरीके से हुई। चुँकि राजो सोरेन की शादी साधारण तरीके से हुई थी, अतः संथाल कस्टम के अनुसार उनकी नियुक्ति ग्राम प्रधान पद पर नहीं हो सकती थी। परन्तु दालू सोरेन की मृत्यू के बाद राजो सोरेन को ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया जो कानून की नजर में गलत है। उनका आगे कहना है कि राजो सोरेन की मृत्यू के बाद मौजा फुलोपानी के रैयतों द्वारा अपीलकर्त्ता को ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। तबसे वे ग्राम प्रधान का कार्य कर रहे थे। निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर ऊत्तरवादी सं0–02 को उक्त मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। ग्रामीण रैयत ऊत्तरवादी सं0–02 को पंसद नही करते है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता को सुने विना आदेश पारित कर दिया गया। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

ऊत्तरवादी सं0–02 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–फुलोपानी एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के अंतिम नियुक्त ग्राम प्रधान उनकी माता राजो सोरेन थी। उक्त मौजा के खतियानी प्रधान तहवल सोरेन थे। तहवल सोरेन के पुत्र दालू सोरेन प्रधान हुए। दालू सोरेन की वेटी राजो सोरेन की घरजमाई शादी मंडल हेम्ब्रम से साथ हुई तथा दालू सोरेन की मृत्यू के बाद उन्हें ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। ऊत्तरवादी सं0–02 जमीन हेम्ब्रम उक्त राजो सोरेन के बड़े पुत्र है। मौजा के सोलह आना रैयत ऊत्तरवादी सं0–02 के पक्ष में है। SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत ऊत्तरवादी सं0–02 को उक्त मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विल्कूल सही है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को वरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि मौजा–फुलोपानी एक प्रधान मौजा है तथा उक्त मौजा के अन्तिम नियुक्त ग्राम प्रधान राजो सोरेन थी। निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि जमीन हेम्ब्रम (उत्तरवादी सं0–02) पूर्व नियुक्त ग्राम प्रधान राजो सोरेन के पुत्र है। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी सं0–02 दोनों ही खतियानी प्रधान तहवल सोरेन के वंशज हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा राजो सोरेन एवं उनके पिता दालू सोरेन की प्रधान पद पर की गई नियुक्ति को

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

गलत बताया गया है। दालू सोरेन एवं राजो सोरेन की मृत्यु हो चुकी है एवं अब उनकी नियुक्ति को इस वाद में चुनौती देना तर्कसंगत नहीं है तथा इस वाद में इस विषय पर विचारण भी उचित नहीं है। संथाल परगना काश्तकारी नियम 1950 के सेड्यूल V(3) के अनुसार प्रधान का कार्यालय वंशानुगत होता है। उद्धरण निम्नवत है –

" The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted, should be headman. If the heir be a minor, he may be appointed headman with a Sarbrakhar to manage for him until he attains his majority. If no suitable Sarbrakhar can be found, the right of the minor lapses."

निम्न न्यायालय द्वारा अंतिम नियुक्त ग्राम प्रधान के पुत्र की नियुक्ति वंशानुगत आधार पर की गई है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई तर्कसंगत कारण उपलब्ध नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

16/1/23
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.06 13:20:30 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:95:b6bf:3557:abc9

Scanned with CamScanner